Gen. No.

अपील सूचना अधिकार संख्या 20/2021 (GCMS 2021/20)(आईटीआई पोर्टल नं. 212450168289438) श्री जयप्रकाश हरवानी पता म.न. जे-157, पार्श्वनाथ सिटी, संगरीया पाल बाईपास रोड़, जोधपुर- 342013 बनाम लोक सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

31.08.2022

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी जयप्रकाश हरवानी स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर, बारह बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने उसे समय पर सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए अपीलार्थी ने यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी पर जुर्माना लगाने और उसे निःशुल्क सूचनाएं उपलब्ध करवाने के लिए पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थीः

> **संयुक्त शासन सचिव, उपनिवेशन विभाग, जयपुर** के पत्रांक प(80)उप/2018 दिनांक 03.12.2018 के अनुसार बैंठक कार्यवाही विवरण दिनांक 30.12.2015 के बिन्दु सं.(vi) व (vii) में हुए निर्णय अनुसार बैंठक में उपस्थित अति. आयुक्त उपनिवेशन जैसलमेर द्वारा कस्टोडियन आवंटियो के लिए 199 मुरब्बें आरक्षित होना बताते हुए यह अवगत कराया गया था कि यदि कोई प्रकरण प्राप्त होगा, तो उसका आवंटन किया जाएगा।
>
> 1. इस सम्बन्ध में यह सूचना मय प्रमाण दे कि उक्त आरक्षित मुरब्बों को किस अधिकारी द्वारा आवंटन किया जायेगा। नाम, पद, विभाग, जिला [illegible] मय प्रमाण दें।
> 2. यह आवंटन किस अधिसूचना के तहत किया जाएगा, उस अधिसूचना की प्रति मय प्रमाण दे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.09.19 13:14:57 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

3. उक्त बैठक के निर्णय अनुसार जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को कस्टोडियन आवंटन बाबत कोई प्रकरण प्राप्त होता है तो उसके मूल दस्तावेज के साथ प्रकरण जिला कलक्टर जैसलमेर को भिजवाए। अतः इस सम्बन्ध में मय प्रमाण सूचना दे कि यह किस आदेश/अधिसूचना के आधार पर निश्चित/निर्धारित किया गया था।
4. सम्बन्धित आदेश/अधिसूचना की प्रति मय प्रमाण दे।
5. श्रीमति ठाकीबाई बेवा माधवदास का कस्टोडियन सम्बन्धी प्रकरण किस आदेश के तहत जिला कलक्टर, जैसलमेर को भेजा गया था, मय प्रमाण सूचना दे।
6. बैठक कार्यवाही दिनांक 13.05.2019 को जयपुर में आयोजित की गई थी। उक्त बैठक कार्यवाही में जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के नही जाने के तथ्यों की सूचना मय प्रमाण दे।
7. उक्त बैठक कार्यवाही में सहायक के जाने सम्बन्धी आज्ञा पत्र /अनुमति पत्र की प्रति मय प्रमाण दे।
8. उक्त अधिकारी किन नियमों के तहत बैठक कार्यवाही में शामिल होने गया था, मय प्रमाण सूचना दे।
9. उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने संयुक्त शासन सचिव उपनिवेशन को दिनांक 10.05.2019 को पत्र भेजकर अवगत कराया था कि [illegible] आवंटित भूमि में से 41.10 बीघा क[illegible]00 बीघा रकबा शेष है। उक्त [illegible] मय प्रमाण सूचना दे।
10. उक्त 7.00 बीघा रकबा का कब्जा [illegible]प्त करने के नियमों की मय प्रमाण सूचना दे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.09.19 13:14:57 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

11. उक्त 7.00 बीघा रकबा का कब्जा कितने कार्य दिवस में प्राप्त होगा। मय प्रमाण सूचना दे।
12. राज. नहर विभाग द्वारा प्रार्थी की अवाप्त 9.05 बीघा रकबा का भुगतान आपके विभाग को किया गया था। परन्तु आपके द्वारा दिनांक 1972 से दिनांक 12.05.2019 तक नही करने के तथ्यों की सूचना मय प्रमाण दे।

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक पुनर्वास/2020/01 दिनांक 04.01.2021 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

उपरोक्त विषय में लेख है प्रसंगाधीन पत्रांक के साथ आपका आर.टी.आई. आवेदन पत्र दिनांक 30.01.2020 जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत इस कार्यालय को हस्तांरित होकर दिनांक 22.12.2020 को प्राप्त हुआ है। जिसका बिन्दुवार प्रतिउत्तर निम्न प्रकार है:

क्र.सं.	वांछित सूचना	प्रतिउतर
1.	इस सम्बन्ध में यह सूचना मय प्रमाण दे कि उक्त आरक्षित मुरब्बों को किस अधिकारी द्वारा आवंटन किया जायेगा [illegible] जिला सम्बन्धी सू[illegible] मय प्र[illegible]	यह सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध नही है।
2.	यह आ[illegible] के तहत किया जाएगा [illegible]स अधिसूचना की प्रति मय प्रमाण दे।	यह सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.09.19 13:14:57 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

3.	उक्त बैठक के निर्णय अनुसार जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को कस्टोडियन आवंटन बाबत कोई प्रकरण प्राप्त होता है तो उसके मूल दस्तावेज के साथ प्रकरण जिला कलक्टर जैसलमेर को भिजवाए। अतः इस सम्बन्ध में मय प्रमाण सूचना दे कि यह किस आदेश/अधिसूचना के आधार पर निशचित/ निर्धारित किया गया था।	सूचना के अधिकार के अन्तर्गत सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का सामधान करना या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नही है। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है। चूंकि खोजे गये तथ्यों के आधार पर नई सूचना बनाकर दिया जाना सूचना के अधिकार के तहत नही आता है।
4.	सम्बन्धित आदेश /अधिसूचना की प्रति मय प्रमाण दे।	यह सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध नही है।
5.	श्रीमति ठाकीबाई बेवा माधवदास का कस्टोडियन सम्बन्धी प्रकरण किस आदेश के तहत जिला कलक्टर, जैसलमेर को भेजा गया था। मय प्रमाण सूचना दे।	**इस कार्यालय के पत्र 1370–71 दिनांक 03.02.16 के द्वारा मूल आवंटन पत्रावली श्रीमान जिला कलक्टर, महोदय जैसलमेर को भिजवायी जा चुकी है। चित्रप्रति संलग्न है।**
6.	बैठक कार्यवाही दिनांक 13.05.2019 को जयपुर में आयोजित की गई थी। उक्त बैठक कार्यवाही में जिला कलक्टर, श्रीगंगान[illegible] नही जाने के [illegible] सूच[illegible]	यह सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध नही है।
7.	उक्त बैठक कार्यवाही में सहायक के जाने स[illegible]धी आज्ञा पत्र /अनुमति पत्र की प्रति मय प्रमाण दे।	यह सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.09.19 13:14:57 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

8.	उक्त अधिकारी किन नियमों के तहत बैठक कार्यवाही में शामिल होने गया था। मय प्रमाण सूचना दे।	सूचना प्रश्नात्मक है। जिसमें सूचना का सर्जन अपेक्षित है जोकि सूचना के अधिकार अधिनियम की परिसीमा से बाहर है।
9.	उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने संयुक्त शासन सचिव उपनिवेशन को दिनांक 10.05.2019 को पत्र भेजकर अवगत कराया था कि प्रार्थी को 48.10 बीघा रकबा आवंटित भूमि में से 41.10 बीघा का बेचान कर दिया गया था शेष 7.00 बीघा रकबा शेष है। उक्त रकबा कहां पर स्थित है मय प्रमाण सूचना दे।	इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 4515 दिनांक 10.05.2019 की चित्रप्रति संलग्न कर भिजवायी जा रही है। उक्त पत्र में मौके एवं रिकार्ड की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट है।
10.	उक्त 7.00 बीघा रकबा का कब्जा प्राप्त करने के नियमों की मय प्रमाण सूचना दे।	सूचना के अधिकार के अन्तर्गत सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नही है। सूचना का सृजन करना अधिनियम कि कार्यक्षेत्र से बाहर है। चूंकि खोजे गये तथ्यों के [illegible] नई सूचना बन[illegible] दिया जाना [illegible] के अधिकार के [illegible] नहीं आता है।
11.	उक्त 7.00 बीघा रकबा का कब्जा कितने कार्य दिवस में प्राप्त होगा। मय प्रमाण सूचना दे।	[illegible]ात्मक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.09.19 13:14:57 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

12.	राज0 नहर विभाग को किया गया था। परन्तु आपके द्वारा दिनांक 1972 से दिनांक 12.05.2019 तक नही करने के तथ्यों की सूचना मय प्रमाण दे।	वांछित सूचना सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध नही है।

-sd-
सहायक लोक सूचना अधिकारी
एवं उपखाण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

चूंकि **सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर अनूपगढ द्वारा अपने उक्त** पत्र क्रमांक 01 दिनांक 04.01.202 से बिन्दु संख्या 5 व 9 की सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई जा चुकी है और बिन्दु संख्या 8 व 11 की सूचना प्रश्नात्मक एवं शेष बिन्दुओं की सूचना उनके पास उपलब्ध नहीं के बारे मे सूचित किया जा चुका है। **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005** की **धारा 2(एफ)** के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है, जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए** एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। **सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है।** लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। **[illegible] से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये [illegible] सूचना अधिकारी का काम नही है।** इस **अधिनियम के प्रावधानों के [illegible] किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नहीं दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.09.19 13:14:57 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है, इसलिए सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को जो जवाब दिया गया है, वह सही है उसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की अपील खारिज की जाती है आदेश की प्रति **सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ** एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 31.08.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.09.19 13:14:57 IST
Reason: SelfAttested